जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, मैनपुरी।

उपस्थितः श्री शशि भूषण पाण्डेय, अध्यक्ष
श्रीमती नीतिका दास महिलासदस्य,

परिवाद संख्या– 118/2024

श्वेता मिश्रा, एडवोकेट पुत्री श्री अबध नरेश मिश्र निवासी ग्राम सढ, पोस्ट तखरऊ, थाना कुर्रा, जिला मैनपुरी, कार्यालय पता चेम्बर नम्बर–21 ब्लाक सी0 सिविल कोर्ट (दीवानी) मैनपुरी 205001

.....परिवादिनी

बनाम

कुलपति महोदय डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, उ0प्र0

.....विपक्षी

अधिवक्ता परिवादिनी –श्री नरेन्द्र सिंह कश्यप,एडवोकेट।
अधिवक्ता विपक्षी –कोई नहीं।

परिवाद प्रस्तुत की दिनांक –30.07.2024
निर्णय की दिनांक –16.07.2025

श्री शशि भूषण पाण्डेय, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषितः–

:::निर्णय:::

यह परिवाद, परिवादिनी ने विपक्षी के विरूद्ध इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है कि, परिवादिनी ने विपक्षी के विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बाबूराम यादव पी0जी0 कालेज, करहल से वर्ष 2010 में बी0एस0सी0 उत्तीर्ण की थी। उसके बाद परिवादिनी ने नियमानुसार प्रार्थनापत्र देकर आनलाइन 500/–रू0 (पॉच सौ रू0) फीस जमा की। फीस जमा होने के बावजूद विपक्षी ने उपाधि नहीं दी, तब परिवादिनी ने विपक्षी से कई बार सम्पर्क किया, तो उसे बताया गया कि, परिवादिनी के घर पर उपाधि/डिग्री भेज दी जायेगी, किन्तु परिवादिनी के पते पर डिग्री नहीं आयी, तब मजबूर होकर वादिनी ने यह परिवाद दाखिल किया है तथा विपक्षी से 2,00,000/– रू0 (दो लाख रू0) समय से डिकी नहीं दिए जाने के सम्बन्ध में तथा परेशान करने के सम्बन्ध में रू0 20,000/–रू0 (बीस हजार रू0), मानसिक कष्ट के लिए, 5,000/–रू0 (पॉच हजार रू0), संविदा हानि के लिए, 30,000/– रू0 (तीस हजार

.....2

Scanned with OKEN Scanner

रू0) खर्चा नोटिस और वाद व्यय के लिए दिलाये जाने की प्रार्थना वादिनी ने की है।

संक्षेप में परिवाद प्रार्थनापत्र के अनुसार, परिवादिनी ने विपक्षी के विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बाबूराम यादव पी0जी0 कालेज, करहल, मैनपुरी से बी0एस0सी0 उत्तीर्ण की थी। परिवादिनी ने विपक्षी के विश्वविद्यालय से बी0एस0सी0 की उपाधि हेतु दिनांक 01.01.2022 को 500/– रू0(पॉच सौ रू0) जमा किए जिसका एप्लीकेशन नम्बर–1365354 एवं ऑनलाइन ट्रॉजेक्शन आई0डी0–930680101220 508821 है जिसके द्वारा 500/– रू0 (पॉच सौ रू0) वादिनी ने जमा किए थे। आगे परिवाद में यह अंकित है कि, उपाधि के लिए विपक्षी द्वारा निर्धारित फीस जमा करने के बाद भी परिवादिनी को उपाधि नहीं दी गयी और न ही किसी माध्यम से सूचना दी गयी । तब परिवादिनी ने विपक्षी के विभाग की घोर लापरवाही से परेशान होकर दिनांक 27.12.2022 को शिकायत संख्या–21–17299 के माध्यम से विपक्षी को अवगत कराया, किन्तु उसके बाद भी परिवाद दाखिल करने तक परिवादिनी को उपाधि नहीं दी गयी, जो घोर लापरवाही है और कर्मचारी आचरण नियमावली के अन्तर्गत घोर अनियमितता के साथ–साथ चिन्ताजनक है, जिसके लिए विपक्षी जिम्मेदार है। आगे परिवाद में यह अंकित है कि, परिवादिनी कई बार आगरा विश्वविद्यालय गयी और सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क किया, तो वादिनी को बताया गया कि, वादिनी की उपाधि वादिनी के पते पर भेजी जायेगी और वादिनी को लौटा दिया गया। तब मजबूर होकर वादिनी ने एक वैधानिक नोटिस जरिये अधिवक्ता दिनांक 06.06.2024 को विपक्षी को भेजा। इसके बावजूद परिवाद दाखिल करने तक न तो विपक्षी की तरफ से कोई सूचना मिली और न ही विपक्षी ने नोटिस का जवाब दिया और न ही वादिनी की डिग्री भेजी, जिसके कारण मजबूर होकर वादिनी को परिवाद दाखिल करना पड़ा और परिवाद में यह भी अंकित है कि, परिवाद सुनने व निर्णय करने का पूर्ण अधिकार इस आयोग को है तथा वाद का मूल्यांकन 2,55,000/– रू0 (दो लाख, पचपन हजार रू0) किया गया है। अंत में वादिनी ने विपक्षी के विरूद्ध परिवाद स्वीकार करने तथा विपक्षी द्वारा वादिनी को समय से डिग्री उपलब्ध न कराने तथा परेशान करने के सम्बन्ध में 2,00,000/–रू0 (दो लाख रू0) दिलाये जाने की प्रार्थना की है, साथ ही साथ मानसिक कष्ट के लिए 20,000/– रू0 (बीस हजार रू0) तथा संविदा हॉनि के लिए 5,000/– रू0 (तीस हजार रू0) एवं नोटिस खर्चा तथा वाद व्यय के लिए 30,000/– रू0 (तीस हजार रू0) भी दिलाये जाने की प्रार्थना वादिनी ने की है, साथ ही साथ अन्य उपशम जो हितकर वादिनी हों, विपक्षी से दिलाये जाने की प्रार्थना

.....3

Scanned with OKEN Scanner

परिवादिनी ने की है।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि, इस मामले में एक मात्र विपक्षी पर दिनांक 16.10.2024 को तामीला पर्याप्त माना गया है, उसक़े बाद विपक्षी के लिखित कथन की तारीख नियत की गयी, किन्तु विपक्षी की तरफ से लगातार कोई उपस्थित नहीं आया तब दिनांक 30.11.2024 को विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अग्रसारित करते हुए एकपक्षीय साक्ष्य की तिथि नियत की गयी। तत्पश्चात् परिवादिनी द्वारा दिनांक 08.01.2025 को शपथ से साक्ष्य दाखिल किया गया, जो पी0डब्लू0–1 के रूप में पत्रावली में कागज संख्या–10/1 ता 10/2 संलग्न है। दिनांक 08.01.2025 को ही वादिनी द्वारा आदेशपत्र के बायें भाग पर यह लिख दिया गया कि, अब कोई साक्ष्य दाखिल नहीं करना है तब एकपक्षीय बहस की तिथि नियत की गयी। आगे चलकर परिवादनी की तरफ से विद्वान् अधिवक्ता श्रीनरेन्द्र सिंह कश्यप की एकपक्षीय बहस सुनी गयी, जिसके आधार पर एकपक्षीय निर्णय पारित किया जा रहा है।

परिवादिनी की तरफ से विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह बहस की गयी कि, परिवादिनी ने विपक्षी के विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेज से परिवादिनी ने सन् 2010 में बी.एस.सी. की पढ़ाई करके परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद उपाधि (डिग्री) के लिए परिवादिनी ने प्रार्थनापत्र संख्या–1365354 तथा आनलाइन ट्रॉजेक्शन आई0डी0–930680101220508821 के द्वारा 500/– रू0 (पॉच सौ रू0) जमा किए, जो डिग्री के लिए निर्धारित फीस है, किन्तु फीस जमा हो जाने के बावजूद परिवादिनी को डिग्री नहीं दी गयी तथा किसी प्रकार की कोई सूचना भी नहीं दी गयी। इस सम्बन्ध में परिवादिनी कई बार विश्वविद्यालय भी गयी और डिग्री विभाग से सम्पर्क किया, तो परिवादिनी को बताया गया कि, परिवादिनी के पते पर डिग्री भेज दी जायेगी, किन्तु परिवादिनी को डिग्री नहीं भेजी गयी, तब मजबूर होकर परिवादिनी ने विपक्षी को नोटिस दिनांक 06.06.2024 को जरिये अधिवक्ता भेजा, उसके बावजूद विपक्षी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, तब परिवादिनी को इस आयोग में परिवाद दाखिल करना पड़ा। अपनी बहस को आगे बढ़ाते हुए परिवादिनी की तरफ से विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह भी बहस की गयी कि, इस आयोग को परिवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा परिवाद समयावधि के अन्तर्गत दाखिल किया गया है। अंत में परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बहस की गयी कि, विपक्षी द्वारा परिवादिनी को बी.एस0सी0 उत्तीर्ण होने की डिग्री न दिया जाना विपक्षी द्वारा की गयी

.....4

Scanned with OKEN Scanner

घोर लापरवाही को दर्शित करता है। यह भी बहस की गयी कि, परिवादिनी को डिग्री प्राप्त न होने के कारण उसे काफी मानसिक कष्ट हुआ है। इस आधार पर बहस के अंत में यह प्रार्थना की गयी कि, विपक्षी को आदेशित किया जाये परिवादिनी को डिग्री उपलब्ध करायी जाये तथा समय से डिग्री उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में परिवादिनी को विपक्षी से 2,00,000/– रू0 (दो लाख रू0) क्षतिपूर्ति धनराशि दिलाया जाये, साथ–ही–साथ मानसिक कष्ट के लिए 20,000/– रू0 (बीस हजार रू0), संविदा हानि के लिए 5,000/–रू0 (पॉच हजार रू0) , नोटिस खर्चा हेतु 5,000/– रू0 (पॉच हजार रू0), तथा वाद व्यय के लिए 25,000/– रू0 (पच्चीस हजार रू0) भी दिलाया जाये। इस सम्बन्ध में वादिनी की तरफ से बहस के दौरान परिवाद प्रार्थनापत्र के साथ दाखिल शपथपत्र कागज संख्या–4 एवं डिक्री के लिए प्रोफार्मे पर प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज संख्या–5/3, डिग्री के लिए 500/– रू0 (पॉच सौ रू0) जमा के बावत फीस रसीद कागज संख्या–5/4, डिग्री न दिए जाने पर शिकायत दिनांकित 27.12.2022 कागज संख्या–5/5, अधिवक्ता के माध्यम से विपक्षी को भेजी गयी नोटिस तथा रसीद दिनांकित 06.06.2024 कागज संख्या– 5/6 तथा 5/7, एवं परिवादिनी के नाम से जारी मार्कशीट कागज संख्या–7/2, तथा पी0डब्लू0–1 के रूप में वादिनी द्वारा प्रस्तुत शपथ से साक्ष्य कागज संख्या–10/1 ता 10/2 पर बल दिया गया, साथ ही साथ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Civil Appeal No 1135/2001 Buddhist Mission Dental College and Hospital ~~through its Secretary Shri R.A. Vatsayayan~~ V/s Bhupesh Khurana and Other Decided On 13 Februay 2009 पर भी बल दिया गया एवं परिवाद स्वीकृत करने की प्रार्थना करते हुए बहस समाप्त की गयी।

परिवादिनी की तरफ से की गयी बहस के आधार पर पत्रावली में परिवादिनी की तरफ से दाखिल मार्कशीट कागज संख्या–7/2 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि, परिवादिनी ने विपक्षी के विश्वविद्यालय से सन् 2010 में बी0एस0सी0 की परीक्षा सेकेन्ड डिवीजन (SECOND DIVISION) में बाबू राम यादव महाविद्यालय, करहल, मैनपुरी से रेग्यूलर (REGULAR) के रूप में उत्तीर्ण की थी तथा परिवादिनी का रोल नम्बर–10171060124 इनरोलमेंट नम्बर–0776857 मार्कशीट में अंकित है तथा परिवादिनी ने बी0एस0सी0 की 2010 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद डिग्री के लिए प्रोफार्मे पर प्रार्थनापत्र दिया, यह कागज संख्या–5/3 से स्पष्ट है, जिस पर इन्टी डेट (ENTRY DATE) 01.01.2022 तथा एप्लीकेशन नम्बर–(Application

..........5

Scanned with OKEN Scanner

Number) 1365354 दर्ज है। इस प्रोफार्म कागज संख्या–5/3 में इनरोलमेंट नम्बर तथा रोल नम्बर वही दर्ज है, जो मार्क शीट कागज संख्या–7/2 में अंकित है तथा मार्कशीट कागज संख्या–7/2 एवं प्रेाफार्म प्रार्थनापत्र कागज संख्या–5/3 पर वादिनी का ही नाम अंकित है। इसके अतिरिक्त वादिनी ने 500/– रू0 (पॉच सौ रू0) की वांछित फीस भी डिग्री के लिए जमा की थी, यह कागज संख्या–5/4 से स्पष्ट हैं तथा डिग्री न मिलने पर दिनांक 27.12.2022 को परिवादिनी ने शिकायत की है कि, उसने 01.01.2022 को डिग्री के लिए प्रार्थनापत्र दिया था, किन्तु उसकी डिग्री जारी नहीं हुई, यह कागज संख्या–5/5 से स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त परिवादिनी की तरफ से अधिवक्ता ने विपक्षी को नोटिस दिनांक 06.06.2024 को भेजी थी, यह कागज संख्या–5/6 एवं रजिस्ट्री रसीद 5/7 से स्पष्ट है। इसी सम्बन्ध में परिवादिनी ने अपना सशपथ साक्ष्य भी पी0डब्लू0–1 के रूप में दाखिल किया है, जो पत्रावली में कागज संख्या–10/1 ता 10/2 संलग्न है तथा परिवादिनी ने अपने सशपथ साक्ष्य में परिवाद में वर्णित तथ्यों को सशपथ पुनः कहा है, जिससे स्पष्ट है कि, परिवादिनी को बी0एस0सी0 की परीक्षा सन् 2010 में उत्तीर्ण होने के बाद, निर्धारित फीस देने के बावजूद तथा शिकायत करने के बाद भी अभी तक डिग्री प्राप्त नहीं हुई। इस सम्बन्ध में परिवादिनी के परिवाद के विपरीत यदि कोई तथ्य है, तो वह विपक्षी ही बता सकते थे, किन्तु तामीला होने के बावजूद विपक्षी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। निश्चित रूप से उपधारणा की जायेगी कि, परिवादिनी का पक्ष सही है। अब इस सम्बन्ध में जब हम परिवादिनी की तरफ से दाखिल माननीय उच्चतम न्यायालय से सम्बन्धित विधि व्यवस्था Civil Appeal No 1135/2001 Buddhist Mission Dental College and Hospital ~~through its Secretary Shri R.A. Vatsayayan~~ V/s Bhupesh Khurana and Other Decided On 13 Februay 2009 का अवलोकन करते है तो यह स्पष्ट होता है कि, माननीय राष्ट्रीय आयेाग द्वारा पिटीशन नम्बर–168/1994 में दिनांक 29.04.2000 को पारित निर्णय के विरूद्ध अपील होने पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय राष्ट्रीय आयोग के निर्णय को सही माना है तथा अपीलांट डेंटल कालेज द्वारा किए गए गलत विज्ञापन को दुर्व्यपदेशन /मिथ्या निरूपण (Misrepresentation) माना है तथा ~~इस~~ दुर्व्यपदेशन /मिथ्या निरूपण (Misrepresentation) के कारण अपीलांट के डेंटल कालेज में एडमीशन लेने वाले रेस्पोडेंटस छात्रों को उपभोक्ता माना है तथा अपीलांट के दुर्व्यपदेशन /मिथ्या निरूपण (Misrepresentation) के परिणामस्वरूप रेस्पोंडेट छात्रों के जीवन का

....6

Scanned with OKEN Scanner

कीमती दो वर्ष नुकसान हो जाना तथा उनका भविष्य बर्बाद हो जाना मानते हुए माननीय राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित निर्णय के अनुसार, माननीय उच्चतमत न्यायालय ने क्षतिपूर्ति दिए जाने का निर्णय पारित किया है।

अब इस मामले को जब हम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय के साथ देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि, इस मामले में विपक्षी द्वारा कोई दुर्व्यपदेशन/मिथ्या निरूपण (Misrepresentation) नहीं है, किन्तु निश्चित रूप से विपक्षी ने सेवा में कमी की है, क्योंकि बी0एस0सी0 की परीक्षा 2010 में उत्तीर्ण करने के बाद तथा प्रोफार्मे पर प्रार्थनापत्र एवं वांछित फीस जमा करने के बाद परिवादिनी का यह अधिकार है कि, उसे डिग्री दी जाये, जो नहीं दी गयी तथा इसका कोई कारण बताने के लिए तामीला के बावजूद विपक्षी की तरफ से कोई नहीं आया। निश्चित रूप से डिग्री प्राप्त न होने के कारण परिवादिनी को मानसिक कष्ट हुआ है तथा डिग्री प्राप्त न होने से वादिनी अपने एक महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित रह गयी है। अतः समस्त तथ्यों का अवलोकन करने के पश्चात् निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में विपक्षी का उत्तरदायित्व बनता है। ऐसी स्थिति में परिवादिनी की तरफ से परिवाद के माध्यम से की गयी प्रार्थना के सम्बन्ध में निम्न आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

1. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि, वह दो माह के अन्दर परिवादिनी को परिवादिनी द्वारा उत्तीर्ण किए गए बी0एस0सी0 (मार्कशीट कागज संख्या–7/2) से सम्बन्धित डिग्री/उपाधि प्रदान कर दें। इस सम्बन्ध में परिवादिनी को भी आदेशित किया जाता है कि, वह एक माह के अन्दर आज पारित निर्णय/आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि नियमानुसार प्राप्त करके विपक्षी को प्रतिलिपि उपलब्ध करा दें।
2. परिवादिनी को विपक्षी द्वारा डिग्री न दिए जाने के कारण जो मानसिक तथा शारीरिक कष्ट पहुँचा है, इसके सम्बन्ध में विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि, विपक्षी द्वारा परिवादिनी को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने हेतु 40,000/– (चालीस हजार रू0) दो माह के अन्दर इस आयोग के खाते में जमा कर दिया जाये।
3. नोटिस खर्चा एवं वाद व्यय के लिए परिवादिनी ने जो प्रार्थना की है, इस सम्बन्ध में विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि, परिवादिनी को नोटिस खर्चा तथा वाद व्यय दिए जाने हेतु विपक्षी द्वारा 6,000/– रू0 (छः हजार रू0) दो

.....7

Scanned with OKEN Scanner

माह के अन्दर इस आयोग के खाते में जमा कर दिया जाये।

4. संविदा हानि के सम्बन्ध में परिवादिनी ने जो धनराशि दिए जाने की प्रार्थना की है, इस सम्बन्ध में यह आदेशित किया जाता है कि, संविदा हानि को ही सेवा में कमी मानते हुए उपरोक्त तीनों आदेश पारित किए गए हैं। अतः अलग से संविदा हानि के लिए 5,000/– रू0 (पॉच हजार रू0) दिलाये जाने की प्रार्थना निरस्त की जाती है।
5. उपरोक्तानुसार परिवाद निर्णीत किया जाता है।
6. पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 16 जुलाई 2025

16/07/25

(नीतिका दास)
सदस्य,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
मैनपुरी।

16/07/25

(शशि भूषण पाण्डेय)
अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
मैनपुरी।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होने के उपरान्त सुनाया गया।

दिनांक 16, जुलाई 2025

16/07/25

(नीतिका दास)
सदस्य,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
मैनपुरी।

16/07/25

(शशि भूषण पाण्डेय)
अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
मैनपुरी।

Scanned with OKEN Scanner